

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 60B/2018-19

धीरेन महतो बनाम 1.ममता महतो 2. मंजू महतो

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


9.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 2296 दिनांक 04.10.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 60B/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता धीरेन महतो पिता स्व० रोहिना महतो, ग्राम-मानिकबाजार, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता 1. ममता महतो पति श्री विजय महतो 2. मंजू महतो पति श्री अजय महतो, ग्राम-सुरताडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| <u>मौजा</u> | <u>थाना न०</u> | <u>खाता न०</u> | <u>खेसरा न०</u> | <u>रकवा</u> |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| छोटाकांकड़ा | 255            | 15             | 71              | 18डी०       |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 18डी० भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.19½ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशांसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 18डी० भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

  
19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।